राजस्थान–सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांकः– प.11(3)(25)/गो./ICDS/2015/ 113136-159 जयपुर, दिनांकः 26-8-16

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद
....

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में आयोजना मद के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण में स्वीकृत के विरूद्ध शेष रहे आ.बा.के. भवन निर्माण कार्यो को वर्ष 2016–17 में मनरेगा कन्वर्जेन्स के तहत पूर्ण कराने के सम्बन्ध है।

प्रसंगः– शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता मे दिनांक 18.07.2016 को जनलेखा समिति के सम्बन्ध में आयोजित बैठक के निर्णयानुसार ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2007–08 मे आयोजना मद में स्वीकृत 1571 आगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने पर राजस्थान विधान सभा की जन लेखा समिति ने गम्भीरता से लिया है। इस संदर्भ मे शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 18.07.2016 को आयोजित की गई थी जिसमें शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने भाग लिया। उक्त बैठक के निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2007–08 आयोजना मद मे स्वीकृत 1571 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण में से शेष रहे कार्यो को वित्तीय वर्ष 2016–17 में मनरेगा कन्वर्जेन्स के तहत पूर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 मे आयोजना मद मे स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण कार्यो में शेष (अप्रारम्भ/निरस्त) रहे आ.बा.के. भवन निर्माण को वर्ष 2016–17 में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कन्वर्जेन्स के तहत निर्माण कार्यो में सम्मिलित करवाकर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करावें ताकि राजस्थान विधानसभा (जन लेखा समिति) को राज्य में स्वीकृत 1571 आ.बा.के. के भवन निर्माण की पूर्ण करवाये जाने की अनुपालना की जा सके। अन्यथा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की पालना न करने व राजकीय कार्य में उदासीनता को मध्यनजर रखते हुए आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है, साथ ही साक्ष्य स्वरूप आपको समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

संलग्नः–
1. बैठक कार्यवाही विवरण।
2. 1571 आ.बा.के. की प्रगति।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– प.11(3)(25)/गो./ICDS/2015/ 113160-188 जयपुर, दिनांक 26-8-16

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय जयपुर।
2. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग,शासन सचिवालय जयपुर।
3. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग (सम्बन्धित)..............................को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले में वर्ष 2007–08 में आयोजना मद में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण में शेष (अप्रारम्भ/निरस्त) रहे को वित्तीय वर्ष 2016–17 में मनरेगा योजना में सम्मिलित करवाकर कन्वर्जेन्स के तहत पूर्ण करवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करावें।
6. ACP मुख्यालय को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड़ हेतु प्रेषित।

अतिरिक्त निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ

E:\rajnarayan\rajnarayanji.docx-220

राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांकः प5(110)महा / सीएजी / आईसीडीएस / 2013–14 97046 जयपुर दिनांक 22.7.16

कार्यवाही विवरण

शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.16 को अपरान्ह 12 बजे जन लेखा समिति वर्ष 2014–15 के 40 वें प्रतिवेदन के संबंध में देवनारायण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 व 2010–11 में विभाग द्वारा स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों के भवनों के निर्माण कार्यों की क्रियान्विति / समीक्षा एवं भारत के नियंत्रक महा–लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013–14 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 3.4.2 के प्रत्युतर / क्रियान्विति के संबंध में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थिति हुए:–

1. श्री राजीव ठाकुर, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
2. डॉ. समित शर्मा, निदेशक, आईसीडीएस
3. श्रीमती ऋचा खोडा, आयुक्त महिला अधिकारिता विभाग
4. श्री आर.एस मीणा, वित्तीय सलाहकार, नरेगा
5. श्री एम. माहेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता, पंचायती राज विभाग
6. श्रीमती अलका शर्मा, वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता
7. श्रीमती स्मिता सरीन, वित्तीय सलाहकार, आईसीडीएस
8. डॉ. पूर्णिमा शर्मा, संयुक्त निदेशक मोनिटरिंग आईसीडीएस

बैठक में विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. **आंगनबाडी भवन निर्माण के संबंध में –**

क.स.	बिन्दु	कार्यवाही
1	अलवर जिले में वर्ष 2009–10 व 2010–11 में देवनारायण योजना में स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र भवनों के निर्माण के संबंध में	वर्ष 2009–10 व 2010–11 में स्वीकृत आंगनबाडी भवन निर्माण कार्यो मे से शेष रहे आंगनबाडी भवन निर्माण की स्वीकृति शीघ्र जारी करते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
2	करौली जिले में वर्ष 2009–10 व 2010–11 में देवनारायण योजना में स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र भवनों के निर्माण के संबंध में	वर्ष 2009–10 व 2010–11 में स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी थी, लेकिन स्वीकृत कार्य में से 4 कार्य अन्य योजना (बी.आर.जी.एफ.) में बनने के कारण व 2 कार्य निरस्त हुये है, उन्हे देवनारायण योजना के अन्तर्गत अन्य स्थानों पर निर्माण कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
3	सवाई माधोपुर जिले में वर्ष 2010–11 में देवनारायण योजना में स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र भवनों के निर्माण के संबंध में	देवनारायण योजनान्तर्गत स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उनमें से एक कार्य प्रगतिरत है जिसे शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
4	पूर्ण निर्माण कार्यो के संबध में	उक्त 3 जिलों में इस योजना में जो निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है उन्हे विभाग को शीघ्र हस्तान्तरण कराये जाने का भी निर्णय लिया गया।

5	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में	जनलेखा समिति वर्ष 2014—15 के 40 वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 8 के अनुसार आंगनबाडी केन्द्रों को पूर्ण नहीं कराने के औचित्य तथा उक्त प्रकरणों से संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा की जावें। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग को विभागीय पत्रांक 89281 दिनांक 18.09.2015 एवं 113693 दिनांक 16.12.15 को लिखा जा चुका है।

इसके साथ ही जन लेखा समिति के 25 वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 1 में वर्णित विभाग द्वारा वर्ष 2007—08 में स्वीकृत 1571 आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण से शेष रहे कार्यो को मनरेगा कनवर्न्जेस के तहत पूर्ण कराने का भी निर्णय लिया गया।

2. भारत के नियंत्रक महा—लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013—14 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 3.4.2 एवं 40 वें प्रतिवेदन के सिफारिश संख्या 8 के संबंध में निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ एवं महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई तथा उक्त अनुच्छेद एवं सिफारिश का प्रत्युतर शीघ्र सचिव, राजस्थान विधानसभा (जनलेखा समिति) को भिजवाने हेतु निर्देशित किया है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक, आईसीडीएस

क्रमांकः प5(110)महा / सीएजी / आईसीडीएस / 2013—14 / 047-56

जयपुर दिनांक 22.7.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक क़ार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. आयुक्त, नरेगा, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. आयुक्त महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, आईसीडीएस, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, नरेगा, शासन सचिवालय जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर
9. वित्तीय सलाहकार, आईसीडीएस, जयपुर
10. संयुक्त निदेशक, मोनिटरिंग, आईसीडीएस, जयपुर

निदेशक, आईसीडीएस

वित्तीय वर्ष 2007–08 में आयोजना मद में स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	जिला का नाम	विभाग द्वारा स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण की संख्या (प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति दिनांक 21.11.2007के अनुसार)	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग	संबंधित उप निदेशकों से प्राप्त सूचना का विवरण						
						स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण की संख्या	पूर्ण आंगनबाडी केन्द्र भवन की संख्या	विभाग को हस्तान्तरित आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या	आंगनबाडी केन्द्र भवन जो प्रगति पर है	आंगनबाडी केन्द्र भवन जो प्रारम्भ नहीं हुए	आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण जो निरस्त किये गये	आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या में अन्तर (कॉलम 3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अलवर	173	173.00	0.00	173.00	77	59	45	3	15	0	96
2	भरतपुर	78	78.00	78.00	156.00	78	66	66	8	0	4	0
3	श्रीगंगानगर	24	24.00	0.00	24.00	14	14	14	0	0	0	10
4	पाली	97	97.00	97.00	194.00	97	88	88	0	5	4	0
5	हनुमानगढ़	26	26.00	26.00	52.00	20	20	20	0	0	0	6
6	अजमेर	64	64.00	0.00	64.00	64	29	29	0	30	5	0
7	सीकर	52	52.00	0.00	52.00	26	25	25	0	0	1	26
8	भीलवाडा	104	104.00	104.00	208.00	56	37	37	12	0	7	48
9	जयपुर	172	172.00	0.00	172.00	172	135	135	37	0	0	0
10	चित्तौडगढ	30	15.00	0.00	15.00	0	0	0	0	0	0	30
11	बून्दी	105	105.00	105.00	210.00	95	12	12	83	0	0	10
12	डूंगरपुर	23	11.50	0.00	11.50	23	23	23	0	0	0	0
13	कोटा	135	135.00	0.00	135.00	86	38	3	48	0	0	49
14	सवाई माधोपुर	18	18.00	0.00	18.00	6	6	6	0	0	0	12
15	चूरू	39	39.00	0.00	39.00	27	21	21	0	6	0	12
16	झुन्झुनूं	31	31.00	31.00	62.00	31	30	0	0	0	1	0
17	बांसवाडा	125	62.50	0.00	62.50	54	54	54	0	0	0	71
18	उदयपुर	38	19.00	0.00	19.00	38	30	0	3	0	5	0
19	नागौर	110	110.00	0.00	110.00	73	53	53	0	20	0	37
20	सिरोही	47	23.50	0.00	23.50	0	0	0	0	0	0	47
21	बीकानेर	7	7.00	0.00	7.00	7	7	7	0	0	0	0
22	जोधपुर	18	18.00	0.00	18.00	18	18	0	0	0	0	0
23	करोली	37	37.00	0.00	37.00	0	0	0	0	0	0	37
24	राजसमंद	18	18.00	0.00	18.00	0	0	0	0	0	0	18
	योग	1571	1439.50	441.00	1880.50	1062	765	638	194	76	27	509